न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 33 / 2018

1 हर्षाराम पुत्र पोकरराम उम्र 76 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी बावड़ी तन ग्राम मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नानूराम पुत्र बोदुराम उम्र 62 साल
2 बिमला देवी पत्नी नानूराम उम्र 60 साल
3 विजेन्द्र पुत्र नानूराम उम्र 32 साल
4 सुभाष पुत्र नानूराम उम्र 25 साल
5 मीना देवी पत्नी विजेन्द्र उम्र 28 साल
6 सुनीता पत्नी सुभाष उम्र 22 साल
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी बावड़ी तन मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
8 राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा मनकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा हर्षाराम बनाम नानूराम वगै. मुकदमा नम्बर 364 / 2016

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 364/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक दावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जो कि विचारण न्यायालय में लंबित था। इस दावे में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया और न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2018 को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट का वाद पत्र खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.03.2018 में अपीलान्ट/वादी का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया गया है तथा न्यायालय (अधिनस्थ) द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में राजीनामें के आधार पर बंटवारे के दावे का निस्तारण हो चुका है इस कारण इस वाद का कोई विधिक औचित्य नहीं है। इस संबंध में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि उपरोक्त किसी भी आधार पर वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यह भी विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि आदेश 07 नियम 11 के अन्तर्गत वाद पत्र का निर्धारण करते समय न्यायालय द्वारा केवल वादपत्र का अवलोकन किया जा सकता है इसके

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प चुरू)

अतिरिक्त प्रतिवादीगण के लिखित कथन एवं प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा इस प्रकरण में वाद से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत है कि वादी/अपीलान्ट का वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं था तथा वादी/अपीलान्ट का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का वाद था, स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अतः किसी भी प्रकार के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण पर लागु नहीं होते एवं विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि एक ही विषय के संबंध में एक ही न्यायालय द्वारा दो आदेश पारित नहीं किये जा सकते तथा कोई भी न्यायालय अपने द्वारा पारित आदेश से विपरित आदेश उसी प्रकरण में पारित नही कर सकता। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जा चुका था तो तत्पश्चात उसी न्यायालय द्वारा वाद को विधि द्वारा वर्जित अभि–निर्धारित करना स्वयंमेव एक विधि विरूद्ध आदेश है। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में पक्षकारों के सही हक अधिकारों का विनिश्चय समस्त पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात वाद को गुणावगुण पर तय कर के ही हो सकता है। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि मु.नं. 459/12 उनवानी हर्षाराम बनाम नानूराम आदि दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रकरण का निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.04.2013 को पारित की गई थी। उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 25.09.2013 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विभाजन प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 780 रकबा 0.2 हैक्टेयर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प उदयपुर)

मौके पर आबादी एवं रास्ता बताया गया है तथा इसकी संयुक्त खातेदारी हर्षाराम पिता पोकर राम हिस्सा 1/2 व नानूराम पिता बोदूराम हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर के नाम है। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज आपत्ति नहीं होने के कारण दिनांक 23.10.2013 को निर्णय व अंतिम डिक्री का आदेश पारित किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद संख्या 364/16 स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जबकि गत वाद संख्या 459/13 भी वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारा का प्रस्तुत किया गया था। गत वाद संख्या 459/13 का निर्णय पक्षकारान की आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया गया है तथा उसी अनुरूप अंतिम डिक्री पारित की गई है। जब कोई भी प्रकरण आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार निस्तारित किया जाता है तो बार–बार एक ही भूमि को लेकर पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वादी ने पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 459/2013 में भी स्थाई निषेधाज्ञा को अनुतोष चाहा था लेकिन पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं चाहा गया था। जब आपसी सहमति से किसी विवाद का निस्तारण होता है तो पुनः उसी प्रकरण में संबंधित कोई वाद पक्षकारान को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। नियमानुसार एक रिकार्डेड खातेदार को अन्य सह खातेदारों को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत वादपत्र से संबंधित वादपत्र संख्या 459/12 का निस्तारण पूर्व में ही हो जाने के कारण प्रस्तुत वादपत्र का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.03.2018 में अपीलान्ट/वादी का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया गया है तथा न्यायालय (अधिनस्थ) द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में राजीनामें के आधार पर बंटवारे के दावे का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निस्तारण हो चुका है इस कारण इस वाद का कोई विधिक औचित्य नहीं है।

इस प्रकरण में वाद से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत है कि वादी/अपीलान्ट का वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं था तथा वादी/अपीलान्ट का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का वाद था, स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अतः किसी भी प्रकार के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण पर लागु नहीं होते एवं विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में पक्षकारों के सही हक अधिकारों का विनिश्चय समस्त पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात वाद को गुणावगुण पर तय कर के ही हो सकता है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई खातेदार स्थाई निषेधाज्ञा के लिए विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वाद लाने का अधिकार रखता है। स्थाई निषेधाज्ञा के वाद का निस्तारण जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना होता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलान्ट का वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर